प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीनी		प्रतिवादीगण
1 गीता पत्नी संजय जाति रामावत निवासी महावीर नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 तारुपी 2 उदय 3 चिराग पिसरान अजय प्रतिवादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता अजय रामावत जाति रामावत निवासी आजाद चौक बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 53 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 56/2019

निर्णय दिनांक :– 01.04.2019

वकील वादीनी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.04.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

माफिक राजीनामा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2444/332 रकबा 08.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2478/378 रकबा 10.07 बीघा भूमि में वादीनी को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को भी 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 नाबालिग होने से जरिये कुदरती वली पिता अजय रामावत होंगे। माफिक नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तथा लगान का निर्धारण करे। राजस्व अभिलेख में यह भी अंकित करे कि नाबालिग प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के कुदरती वली पिता उनके बालिग होने तक उनके हिस्से की भूमि का रहन, बय व हस्तान्तरण सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना नही कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 01.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(S D O) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

APP-A
Crim-I

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...... उपखण्ड कलक्टर (SDO) बाड़मेर ......

...... गीता ...... बनाम ...... तारूषी वगैरह ......

किस्म मुकदमा ...... राजस्व वाद U/S 88, 53 RTA ...... नं. 56/19 सन् 2018

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
01.04.19	**निर्णय** वादीनी मय वकील उपस्थित होकर यह वाद प्रतिवादीगण तारूषी वगैराह के विरूद्ध धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। संक्षिप्त में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2444/332 रकबा 08.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2478/378 रकबा 10.07 बीघा के आये हुए है। उक्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। मूल खातेदार नीती की दिनांक 08.02.2019 को मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण उनके विधिक वारिसान है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज है तथा उसी अनुसार खातेदारी की घोषणा करवा कर विभाजन करवाना चाहते है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। संलग्न नक्शा अनुसार मौके पर काबिज है। उसी अनुसार खातेदारी की घोषणा के साथ विभाजन किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है। वादीनी की पहचान वकील श्री	

Geeta Ram (वकील वादी)

Ajay (वकील प्रतिवादी)

बलराम प्रजापत द्वारा दी गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत द्वारा दी गई।

उपखण्ड कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद सं. 56/19 गीता V/S [illegible]
	श्रीमती गीता रामावत द्वारा वाद कथन की पुष्टी में साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 2444/332 रकबा 08.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2478/378 रकबा 10.07 बीघा कुल रकबा 18.14 बीघा की नीती पत्नी अजय रामावत तथा गीता पत्नी संजय रामावत अभिलिखित खातेदार है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार नीती रामावत का दिनांक 08.02.2019 को देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उसके विधिक वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 नाबालिग होने से उनका कुदरती वली उनके पिता अजय रामावत है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा एवं नक्शा प्रस्तुत कर वाद कथन की पुष्टी करते हुए राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का 1/2–1/2 हिस्सा है तथा संलग्न नक्शा अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। माफिक कब्जा काश्त अनुसार 1/2–1/2 हिस्सा की घोषणा कर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार विभाजन किये जाने पर सभी पक्षकारान सहमत है। अतः माफिक राजीनामा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2444/332 रकबा 08.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2478/378 रकबा 10.07 बीघा भूमि में वादीनी को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को भी 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 नाबालिग होने से जरिये कुदरती वली पिता अजय रामावत होंगे। माफिक नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद सं. 56/19 गीता व 18 ना कर्मी	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	का विभाजन किया जाता है। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तथा लगान का निर्धारण करे। राजस्व अभिलेख में यह भी अंकित करे कि नाबालिग प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के कुदरती वली पिता उनके बालिग होने तक उनके हिस्से की भूमि का रहन, बय व हस्तान्तरण सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना नही कर सकेंगे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	

Scanned by CamScanner